न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/129

पवन कुमार पुत्र श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
3. अशोक कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

4. विमला देवी पत्नी श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया, जिला हनुमागनढ।
5. राजबाला पुत्री श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
6. भादरराम पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया,
निर्णय दिनांक 27.07.2021, प्र. सं. 07/2021

उपस्थितिः—

श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक अपीलांट
श्री राजकमार खटोड़, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1
श्री शिवराज सिह खोसा, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 21.03.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए के तहत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में कथन कियाकि प्रार्थीगण के नाम चक 1 एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

एन.जी के खाता सं0 36/34 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 3.296 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए चक नं. 1 एस.एन.जी. खाता 52/50 ज.सं. 2071-2074 में प. नं. 214/150 मु. नं. 38 किला नं. 3, 4, 5 में उत्तरी दिशा में किला नं. 23 से 25 से चिपता हुआ पूर्व पश्चिम लम्बा दो-दो बिस्वा कुल 0.075 है0 रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि प. नं. 213/149 मुरब्बा नम्बर 34 के किला नं. 15 में से होकर मात्र डेढ बीघा दूरी का रासता स्वीकृत किया जा सकता है जो सबसे निकटतम है और कानूनन यह रास्ता ही स्वीकृत होना चाहिए। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 ता 3 द्वारा याचित रास्ता को स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई विवेचन नही किया है जबकि प. नं. 213/152 (49) किला नं. 3, 4, 5 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि मोके पर चालू है तथा रेस्पोडेंट सं0 1 ता 3 के सांझे खाते की आराजी एक ही टुकड़ में 53 बीघों के अन्दर रास्ता है। अन्य सह खातेदारान को बातैर पक्षकार प्रकरण में संयोजित नहीं किया है, जिसके कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है, जिसके संबंध में अपीलांट ने एतराज भी किया था मगर विचारण न्यायलाय ने कोई गौर नहीं किया है। प्रार्थीगण की आराजी को सबसे निकटतम रास्ता पं. नं. 213/149 मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 15 में से होकर उपलब्ध हो सकता है जो मात्र डेढ बीघा की दूरी पर है कानूनन भी यह रास्ता स्वीकृत होना चाहिए था। पक्षकारान की उपस्थिति में रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी जो नहीं मंगवाई गई है। रिपोर्ट अधूरी है। रेस्पोडेंण्ट की समस्त आराजी नहीं दिर्शाई गई है। विचारण न्यायालय ने रास्ते में आराजी के बदले में डीएलसी के मुताबिक मुआवजा के आदेशपारित किये हैं जबकि डीएलसी बाबत आदेश अगर कृषिभूमि के चिपती न हो तो ही पारित किये जा सकते हं तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में रास्ते की भूमि के बदले में अन्य भूमि या उक्त आरजी का बाजार भाव देने बाबत कथन किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअंदाज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवकता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 649, डीएनजे 2019 रेवेन्यू पेज 262, डीएनजे 2017 रेवेन्यू पेज 1, आरआरटी 2014 (1) पेज 40, सीसीसी 20149 (3) पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

134 संप्रिम कोर्ट, आरआरटी 2016 (1) पेज 440, आरआरटी (2016–17) स्पलीमेन्टरी पेज 597 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पत्थर नंबर 213/152 (49) किला नं. 3, 4, 5 प्रत्येक में .025 है0 गैर मुमकिन दर्ज है कौनसे काश्तकार की कृषि भूमि है व किस काश्तकार के साथ लगता है। उक्त रास्ता रेस्पोडेन्टान प्रार्थी की कृषि भूमि के एक मुरब्बा यानि 05 बीघा भूमि दूरी पर खाता में अन्य काश्तकार की कृषि भूमि है। नजरी नक्शा जो अपीलाण्ट ने पेश किया है उसमें भी रास्ता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वजों द्वारा अपीलाण्ट के पूर्वजों के साथ वर्ष 1983 में बंटवारा में चक 1 एसएनजी के मु. नं. 38 में किला नं. 2 में 3 बिस्वा रास्ता तबादला में दिया है। चक 1 एसएनजी में श्री बहादरराम प. नं. 38 के किला नं. 3, 4, 5 में रास्ता लिया है जो रास्ता पूर्व में चालू था जिस कारण अन्य पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलाण्ट ने किला नं. 15 में रास्ता स्वीकृत होने के मिथ्या कथन किये हैं। आईएलआर की रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है जिस पर अपीलाण्ट पवन कुमार, जगदीश के हस्ताक्षर हैं जिससे साबित है कि अपीलाण्ट ने झूठे कथन किये हैं। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार डीएलसी की राशि तहसीलदार संगरिया के समक्ष जमा करवा दी है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन कियां।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 ता 3 के धारा 251– आरटीएक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। धारा 251–ए में रास्ता स्वीकृत करते समय रास्ते की आत्यंन्तिक आवश्यकता, रास्ते की उपलब्धता एवं निकटतम रास्ते के बिन्दू देखे जाने हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2021 उपलब्ध है जिसे आईएलआर द्वारा तैयार किया गया एवं तहसलदार के पत्रांक 330 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा अग्रेषित किया गया है। जिसमें चक 15 एसएनजी खाता सं0 52/50 प. नं. 214/150 मु. नं. 38 किला नं. 3, 4, 5 में उत्तरी दिशा में किला नं. 23, 24, 25 के रास्ते को निकटतम दूरी का रास्ता बताया गया है। बिन्दू संख्या में 4 में बताया गया है कि अन्य कोई अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आईएलआर की रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है, स्वीकृत किया गया रास्ता निकटतम है और उसे रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है विचारण न्यायालय ने आईएलआर की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:08 IST
Reason: SelfAttested

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.07.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/3/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:08 IST
Reason: SelfAttested